**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1823**

**जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

**.....**

**नदियों द्वारा कटाव के लिए किसानों को मुआवजा**

**1823. श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** नदियों द्वारा भू-क्षरण, जो कि देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, का समाधान करने की क्या नीति है;

**(ख)** क्या सरकार का भू-क्षरण से प्रभावित किसानों को सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने का प्रस्ताव है; और

**(ग)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क), (ख) और (ग):** बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देती है और उनके लिए तकनीकी सहायता के साथ-साथ संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलें निम्न प्रकार से हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति ने राज्य सरकारों के परामर्श द्वारा पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु रणनीतिक तैयारी करने के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति में आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ-साथ संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का संयोजन शामिल है जो बाढ़ / कटाव की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। समिति ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को वर्ष 2021-26 की अवधि तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार वर्ष 2021-26 के दौरान 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक प्रायोजित एफएमबीएपी योजना को लागू कर रही है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। यह नेटवर्क राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे की अल्प प्रतिक्रिया अवधि के साथ छोटी अवधि के पूर्वानुमानों के अलावा, सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों की अग्रिम चेतावनी के लिए वर्षा- रनॉफ गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार एक बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया गया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जा सके। इस समय, सीडब्ल्यूसी द्वारा 340 केन्द्रों (200 स्तरीय पूर्वानुमान और 140 अंतर्वाह पूर्वानुमान) केन्द्रों से बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान के लिए जोनिंग दृष्टिकोण अपनाने हेतु राज्यों को निरंतर कहा गया है। राज्यों को बाढ़ मैदानों और इसकी जोनिंग का वैज्ञानिक आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय द्वारा बाढ़ मैदान जोनिंग पर तकनीकी दिशानिर्देशों का एक मसौदा तैयार किया गया है और वर्ष 2024 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि (एनडीएमएफ) के दिशा-निर्देशों में शामिल की गई आपदाओं के संबंध में न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रयोजन से अनन्य रूप से वित्तपोषण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 47(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) स्थापित की गई है। मिटिगेशन फंड का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित कार्यकलापों के लिए किया जाता है, जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

*****